प्रकरण संख्या 6/2024 विजय कुमार बनाम श्रीमती कस्तूरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 74 नया 51 पुराना में वर्णित आराजीयात कुल किता 24 रकबा 0.8200 हैक्टर भूमि ग्राम गोपीनाथ का गडा, तहसील गढ़ी में स्थित है, जो उन्हें उनके पिता तोलाचन्द पिता कोदर पंचाल से प्राप्त हुई। वादी कानूनन तोलाचन्द का गोद पुत्र है एवं गोद पुत्र बनकर उसकी सेवा चाकरी की है तथा गांव चन्दुजी का गड़ा में उसके साथ रहकर व्यापार व निवास किया है। तोलाचन्द की मृत्यु पर वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनकी माता श्रीमती धूली के साथ नामान्तरकरण खुलना था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 23.11.2010 अपने अकेले के नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि वादी स्वर्गीय तोलाचन्द का पुत्र है, जिसका नाम राजकीय पत्रों, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 23–11–2010 निरस्त किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पूर्व में इस न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.का.अ. बाबत् दिनांक 08.03.2017 को निर्णय होकर उसकी पालना में विभाजन अनुसार पृथक–पृथक नामान्तरकरण दर्ज हुए हैं। वर्तमान में वादी को यदि खातेदारी घोषणा करानी थी तो पूर्व निर्मित वाद के समय प्रतिदावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते थे। वादी ने प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण निरस्त करने की दा[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:56 IST
Reason: SelfAttested

मू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

मुख्य प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सनुकर अपने निर्णय दिनांक 21.05.2024 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा दिनांक 21.06.2024 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भालचन्द नागर उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विभाजन के वाद में हुए निर्णय से यह प्रकरण विबंधित नहीं है। उक्त वाद में उपखण्ड अधिकारी गढ़ी द्वारा अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगण को दावे के सम्मन तामिल नहीं कराये हैं तथा लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त वाद में निर्णय पारित किया गया है, जिससे पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के वाद पर प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं तनकियात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट का वाद विधि वर्जित होना मानकर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभा[illegible]डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/वादी का वाद पूर्व में [illegible] हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:56 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

प्रकरण संख्या 6/2024 विजय कुमार बनाम श्रीमती कस्तूरी व अन्य

विभाजन के वाद के निर्णय से प्रतिबंधित है तथा नामान्तरकरण को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। वादी/अपीलान्ट का वाद घोषणा एवं निषेधाज्ञा का होकर कृषि भूमि से संबंधित है, जो आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के दायरे में नहीं आता है एवं ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। जहां तक रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न है, इसे साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर एवं तनकियां कायम कर साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत विधि वर्जित होना मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 141/2022 में पारित निर्णय एवं डिक्री 21.05.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का जवाबदावा लेकर एवं प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:56 IST
Reason: SelfAttested